न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 74 / 2024 तारीख रजू :– 14.08.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. गोविन्द वैष्णव पुत्र श्री अशोक कुमार (पूर्व मैनेजर) मैसर्स Zana Forest Resort By Sailani न्यू शूटिंग लॉज रोड सप्तार सवाई माधोपुर 322001 निवासी अरनोदा, चितौडगढ, राजस्थान 312620
2. वरूण शर्मा पुत्र श्री बंसी लाल (हाल ऑपरेशन मैनेजर) मैसर्सः– Zana Forest Resort By Sailani न्यू शूटिंग लॉज रोड, सप्तार सवाई माधोपुर 322001 निवासी हाउस न. 52-96- वार्ड न. 12 गली शीतला मंदिर, चबूतरा बाजार, उधमपुर, जम्मू एण्ड कश्मीर 182101

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 व 54

निर्णय दिनांक 27 / 08 / 2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहा अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 21-05-2024 को दोपहर 06:15 पी.एम पर हॉटल Zana Forest Resort By Sailani न्यू शूटिंग लॉज रोड, सप्तार सवाई माधोपुर पर पहुंचा पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसे मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम गोविन्द वैष्णव पुत्र श्री अशोक कुमार हॉटल का मैनेजर होना बताया एवं हॉटल का निरीक्षण किया। हॉटल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मावा विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार कर काम में लिया जाता है। उक्त मावा (लूज) में गुणवत्ता में कमी होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जाँच । किलोग्राम खरीदकर उनकी कीमत 280/– रुपये विक्रेता श्री गोविन्द वैष्णव को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उपस्थित गवाहान सुनील कुमार योगी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा (लूज) को एक स्टील के खाली बर्तन में लेकर चार प्लास्टिक की बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में भर कर फॉरमर्लिन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–3285 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच–3285 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री गोविन्द वैष्णव ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री गोविन्द वैष्णव को देकर रसीद प्राप्त की।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। दो फॉर्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/485 दिनांक 12-06-2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स एलएस/2108/एक्ट/2024/2102 दिनाक 04-06-2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (लूज) Substandard , Extraneous matter प्रकृति का होना पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/834 दिनांक 14/8/24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

यह कि उक्त केस में अभियुक्तगण द्वारा Substandard & Extraneous matter मावा (लूज) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं (2) (अ) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमश कमशः धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अप्रार्थी संख्या 2 श्री वरूण शर्मा वर्तमान हॉल ऑपरेशन मैनेजर मैसर्स Zana Forest Resort By Sailani न्यू शूटिंग लॉज रोड, सप्तार सवाई माधोपुर उपस्थित हुये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने अवमानक स्तर (सबस्टैण्डर्ड) प्रकृति की **खाद्य वस्तु मावा** (loose) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया की उक्त मावा स्वयं द्वारा निर्माण नहीं किया जाकर अन्य फर्म से क्रय किया जाता है। पुनःश्च अप्रार्थी द्वारा कथन करते हुए प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मावा (लूज) अन्य फर्म से क्रय किये जाने बावत तर्क साक्ष्य के अभाव में मान्य नहीं है। अतः खाद्य विश्लेषक मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज0, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2108/एक्ट/2024/2102 दिनांक 04/06/2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Substandard & extraneous matter (foreign fat), Mawa (loose) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः Substandard & extraneous matter (foreign fat), मावा(लूज) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से 50,000/–रू0 (**अक्षरे पचास हजार रूपये**) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय करें तथा वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक–एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/08/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर